10/1/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग/शिविर मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत दि0 26/3/18 को पेश हो।

26/3/18

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 22/5/18 को पेश हो।

22/5/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग/शिविर मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत दि0 18/6/18 कैम्प दीगोद को पेश हो।

18.6.18

पत्रावली लोक अदालत केम्प दीगोद में पेश हुई। उभयपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित है। उभयपक्ष को प्रकरण के सम्बन्ध में सुना गया। वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53–88–89–188 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 1195/1 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 1286 रकबा 1.47 हे0, ख0नं0 1541 रकबा 0.88 हे0 कुल किता 3 रकबा 3.00 हे0 भूमि में वादी को प्रतिवादी नं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम प्रतिवादी नं0 1 के साथ दर्ज किया जावें तथा वादी के 1/4 हिस्से की आराजी को अलग खातें दर्ज किया जावें एवं लगान कायम किया जावें।

उभयपक्ष के मजमें आम में उपस्थित होनें पर समझाईश की गई। प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा इकरारनामा बाबत् सहमति विभाजन राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रतिवादी नं0 2 रामपाल के हिस्से में ख0नं0 1195/1 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 1541 रकबा 0.88 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.53 हे0 भूमि एवं प्रतिवादी नं0 1 नाथूलाल के हिस्से में ख0नं0 1286 रकबा 1.47 हे0 भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार विभाजन किये जानें की सहमति प्रकट की।

वादी

प्रतिपक्षी

रामपाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

2018/60/128

वादी प्रतिवादी नं0 1 का पुत्र है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में मनन करनें के उपरान्त वादी प्रतिवादी नं0 1 हिस्से पर सहखातेदार घोषित होनें का अधिकारी पाया जाता है। उभयपक्ष ने इस बाबत् सहमति प्रकट की कि, वादी को प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से की आराजी पर सहखातेदार घोषित किये जानें तक वाद स्वीकार किया जावें।

अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 1195/1 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 1286 रकबा 1.47 हे0, ख0नं0 1541 रकबा 0.88 हे0 कुल किता 3 रकबा 3.00 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य विभाजन किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 नाथूलाल को ख0नं0 1286 रकबा 1.47 हे0 भूमि एवं प्रतिवादी नं0 2 रामपाल को ख0नं0 1195/1 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 1541 रकबा 0.88 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.53 हे0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उक्तानुसार अलग-अलग खाता कायम कर पृथक से लगान कायम करें। साथ ही वादी राजेश को प्रतिवादी नं0 1 के साथ ख0नं0 1286 रकबा 1.47 हे0 भूमि में सहखातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।